उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्

संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ, अपर आमवाला देहरादून

संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलीटेक्निक– 2022 काउंसिलिंग के सम्बन्ध में सूचना

वेबसाईट **https://ubter.in**

ऑनलाईन काउंसिलिंग के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रूड़की से सम्बद्ध उत्तराखण्ड राज्य में स्थित समस्त राजकीय/सहायता प्राप्त एवं निजी प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षिक सत्र 2022–23 में प्रवेश के लिये संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलीटेक्निक–2022 (जीप– 2022) में रैंक प्राप्त सभी अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाईन काउंसिलिंग का आयोजन करवाये जाने की प्रक्रिया गतिमान है। वर्तमान सत्र से विभिन्न राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों में पुराने पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त रोजगारपरक नये इमर्जिंग पाठ्यक्रमों का संचालन करवाया जाना है, जिससे कि छात्र/छात्राओं को तकनीकी शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में अग्रसर होने का सुनहरा अवसर प्राप्त हो सके।

ऑनलाईन काउंसिलिंग आयोजन की तिथि के सम्बन्ध में विस्तृत विज्ञापन समाचार पत्रों एवं वेबसाईट के माध्यम से यथाशीघ्र प्रकाशित की जायेगी।

अन्य आवश्यक निर्देश :–

- ऑनलाईन काउंसिलिंग से सम्बन्धित समस्त जानकारी काउंसिलिंग की वेबसाईट **https://ubter.admissions.nic.in** पर उपलब्ध रहेगी।
- जीप– 2022 की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थी ऑन लाईन काउंसिलिंग हेतु पात्र हैं किन्तु ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी नहीं है एवं पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता परीक्षा उत्तराखण्ड से उत्तीर्ण नहीं हैं, काउंसिलिंग हेतु पात्र नहीं होंगे।
- किसी भी आरक्षण का लाभ लेने के लिये अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड का स्थाई निवासी होना अनिवार्य होगा। जिसे प्रवेश के समय आवंटित संस्थान में जमा करना अनिवार्य होगा। अतः ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास उत्तराखण्ड स्थाई निवास का प्रमाण पत्र न हो एवं वे पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम अर्हता उत्तराखण्ड से उत्तीर्ण हों, ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन के समय विशेष ध्यान रखें एवं सही जानकारी उपलब्ध करायेगें।
- अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षण से सम्बन्धित समस्त प्रमाण पत्र उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने होंगे।
- जिन अभ्यर्थियों को प्रथम काउंसिलिंग के माध्यम से राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त संस्थान में कोई पाठ्यक्रम आवंटित हो, तो वे अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि में प्रदेश में किसी भी निकटतम राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त पॉलीटेक्निक में आवश्यक अभिलेख (Allotment Letter के अनुसार) एवं शिक्षण शुल्क रू0 8000/– के साथ उपस्थित होकर प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करा सकते हैं।
- प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी ऑन लाईन काउंसिलिंग में इन्टरनेट के माध्यम से अपने घर/शहर/गॉव में कहीं से भी काउंसिलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं।
- शासनादेश संख्या 348/XXIV(8)/10-26-10 दिनांक 19/01/2011 एवं यथा संशोधित शासनादेश सं0 647/XLI-1/12-26/10 दिनांक 20 जून, 2012 के द्वारा राज्य के समस्त राजकीय एवं निजी तकनीकी शिक्षण संस्थानों में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमों में Tuition Fee Waiver Scheme अनिवार्य रूप से लागू की गयी है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक संस्थान के प्रत्येक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम की स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी के लिये आरक्षित की गयी हैं, जिनके अभिभावकों की किसी भी स्त्रोत से वार्षिक आय रू0 4.50 लाख से कम हो। ऐसे प्रवेशित अभ्यर्थियों से सम्पूर्ण पाठ्यक्रम हेतु शिक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा। अभ्यर्थी इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश एवं उक्त शासनादेश वेबसाईट **https://ubter.admissions.nic.in** से डाउनलोड कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी TFW उपश्रेणी में रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हे विकल्प भरते समय पाठ्यक्रम हेतु Normal एवं TFW दोनों प्रकार के विकल्पों को वरीयताक्रम में भरना अनिवार्य होगा।
- शासनादेश सं0 1003/XLI-1/19-42/19 दिनांक 12 जुलाई, 2019 के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रमों में सत्र 2019–20 से 10 प्रतिशत सीटों को आरक्षित किया जायेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा ऑन लाईन काउंसिलिंग के समय EWS (Economic Weaker Section) श्रेणी का चयन करना होगा एवं प्रवेश के समय निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

संयुक्त सचिव